

एक विचार व्यापारियों व स्वयं रोजगार करने वालों के बारे में ।

यह हमारे देश हिन्दुस्तान को एकजुट करने का एक प्रयास है ।

हम प्रत्येक व्यापारी से यह अनुरोध करते हैं कि वह इस कार्य के लिए आगे आएँ और हमारा सहयोग करें ।

वर्तमान स्थिति :

देश में करो की व्यवस्था ऐसी है, जिससे प्रत्येक व्यापारी करो की चोरी करने के लिए मजबूर हो जाता है और इसलिए वह अपना पूरी तरह से योगदान नहीं दे पाता ।

प्र : यह वर्तमान स्थिति कैसे परिवर्तित की जा सकती है ?

उ : अगर हमारा देश हिन्दुस्तान स्वर्ग कैसे बन सकता है के प्रावधानों को लागू करा दें । व्यापारियों स्वयं रोजगार से संबंधित एक प्रस्ताव साथ दिया गया है ।

प्र : इन कार्यों के लिए धन/पैसा कहां से आएगा ?

उ : आयकर समाप्त होने के बाद सरकार के पास निम्न प्रकार से आएगा :

- उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व सेवा कर लगने पर देश में करों की आमद बहुत बढ़ जाएगी और सिक्के चलने पर चोरी करना असंभव हो जाएगा ।
- समता कर लगने पर जो व्यक्ति व्यापार या परियोजनाएं / प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे उन पर यह कर लगेगा, उसकी आमद ।
- सरकार 0.01% सालाना ब्याज पर ऋण / लोन ले सकती है और यह 10, 20, 50..... 1000 लाख करोड़, जितना मर्जी हो लिया जा सकता है और यह केवल किताबी एंट्री / लेखा-जोखा/ चलन (Circulation) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं और यह धन सरकार ने कभी वापिस भी नहीं करना ।

इस प्रकार सरकार के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी।

प्र : व्यापारियों का जीवन बेहतर कैसे हो सकता है ?

उ : इसके लिए देश में केवल तीन कर हो - उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व सेवा कर और किसी भी कर की अधिकतम दर 10% हो । प्रत्येक व्यापारी को 0.01% सालाना ब्याज पर आसानी से ऋण उपलब्ध हो । आयकर समाप्त कर दिया जाए । जिन व्यापारियों ने अपने जीवन में देश में करो की आमद या परियोजनाओं / कल्याण / समाजिक / धार्मिक कार्यों में अपना योगदान दिया है उनके लिए विशेष पेंशन/सम्मान की व्यवस्था बनाई जाए जो उनके योगदान पर निर्भर करें । कर्मचारियों और व्यापारियों की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाए क्योंकि कोई भी व्यापारी कर्मचारियों के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता ।

प्र : आप इस कार्य में कैसे सहयोग कर सकते हैं?

उ : जागरूकता को फैलाकर ।

प्र : जागरूकता कैसे फैलाई जा सकती है ?

उ : जिस व्यक्ति को भी आप जानते हैं, आप से संबंधित है या नहीं है, नहीं जानते हैं आप उनको ईमेल के द्वारा या अन्य साधन जैसे की एस.एम.एस. (SMS) फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप या अपने व्यक्तिगत संपर्क से यह कार्य कर सकते हैं ।

यह विचार पूर्ण गुरु श्री चन्द्रमोहन जी के हैं जो कि परमात्मा के प्रतिनिधि हैं और इस समय विश्व परिवर्तन के लिए धरती पर हैं।

हम निश्चित हैं कि यह कार्य बहुत जल्द..... संपन्न होगा ।

श्री परमधाम, मेरठ

वेबसाइट के लिए : www.solutionoflife.in

एक प्रस्ताव व्यापारियों व स्वयं रोजगार करने वालों के लिए ।

प्रिय देशवासियों,

वर्तमान में जो हालात व्यापारियों के हैं, क्या आप चाहते हैं कि उसका कोई समाधान निकले ? उसके लिए एक मजबूत प्रजातंत्र का होना अनिवार्य है और यह समाधान तब निकल सकता है जबकि :

राजनीतिक सुधार, पुलिस के सुधार व न्यायिक सुधार हो..... जो संलग्न किए गए हैं:-

एक व्यापारी व स्वयं रोजगार करने वालों के लिए : व्यापारियों के लिए निम्नलिखित प्रावधान हो -

1. बैंक का धन उपलब्ध कराना :-

1. ऐसे व्यापारी जो कामयाब हैं : उनके सारे के सारे ऋण /लोन इकट्ठे करके एक कर दिए जाएं और 0.01% सालाना ब्याज पर उपलब्ध हों । सभी ऋण /लोन व वर्किंग कैपिटल टर्म लोन में परिवर्तित कर दी जाए । अगर कोई भी व्यापारी पिछले साल के मुकाबले अधिक करों की वसूली करता है और सरकार को देता है उसके लिए एक साल के बाद दो गुना ऋण /लोन तक का प्रावधान हो, जो वह अगले 5 वर्षों में कभी भी ले सके ।
2. नए व्यापारियों को ऋण /लोन 30 दिन के अंदर-अंदर दे दिया जाए जब भी उनका प्रस्ताव इस संबंध में बैंक के पास पहुंचे और उनके लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए :-

शर्तें

- प्रस्ताव संक्षिप्त में हो ।
- यह प्रस्ताव एक पेशेवर (प्रोफेशनल) ग्रुप के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाए और इसको जितना बेहतर किया जा सकता है किया जाए ।
- ऋण /लोन की वापसी कितने समय में होनी है और उसका आरंभिक समय कितने देर के बाद आरंभ होगा उसको निर्धारित किया जाए ।
- आरंभिक समय समाप्त होने के बाद टर्म लोन की किश्त /इंस्टॉलमेंट निर्धारित की जाए । आरंभिक समय समाप्त होने के बाद यदि उधार लेने वाला अपनी किश्त /इंस्टॉलमेंट का 25% पहले साल में, 50% दूसरे साल में, 75% तीसरे साल में और 100 प्रतिशत चौथे साल में किश्त /इंस्टॉलमेंट का नहीं दे पाता, जहां भी वह नाकाम हो, उस का व्यापार उससे छीन लिया जाए और किसी और को दे दिया जाए । उस व्यक्ति को भविष्य में कोई भी अवसर प्रदान नहीं हो । जितना भी लोन लिया गया है और व्यापार बेचने पर जितने धन की कमी है उसे वापिस न लेकर माफ़ कर दिया जाए ।
- अगर उधार लेने वाला सारी की सारी किश्त /इंस्टॉलमेंट समय पर दे देता है तो उसको 5 गुना तक जब चाहे ऋण /लोन ले सकता है जो कि 7 दिन के अंदर अंदर दिया जाए, जब भी वह बैंक को प्रस्ताव करे ।

मार्जन मनी (हाशिया धन)

1. 10 लाख रुपए तक के ऋण /लोन के लिए	10%
2. 10 लाख से 50 लाख रुपए तक के ऋण /लोन के लिए	8%
3. 50 लाख से 100 लाख रुपए तक के ऋण /लोन के लिए	6%
4. 100 लाख से 500 लाख रुपए तक के ऋण /लोन के लिए	4%
5. 500 लाख रुपए से ऊपर के ऋण /लोन के लिए	2%

इस मार्जन मनी का प्रावधान समता कर के आधीन भी उपलब्ध हो जोकि किसी भी ऋण कर्ता के लिए सीड मनी का कार्य करें। जो व्यक्ति समता कर के आधीन मार्जन मनी दे रहा है उसका व्यापार में 49 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं होना चाहिए। यह मार्जन मनी केवल वरिष्ठ नागरिक ही दे पाए।

इसके लिए खेती व फूलों से संबंधित (हॉर्टिकल्चर) व्यापार इसमें नहीं आने चाहिए।

3. ऋण करता जिनका व्यापार नकारात्मक/ हानि में है : उनका यह व्यापार बैंक के नाम कर दिया जाए और उनको एक अवसर दिया जाए ताकि वह अपनी साख को बना सकें और उसके लिए एक से 2 वर्ष का समय उनको दिया जाए। अगर वह करों की आमद पहले से बेहतर करके सरकार को दे सकते हैं तो उनको यह मौका उसी प्रकार दिया जाए जैसे एक नए व्यापारी को दिया जाता है।
4. ऐसे व्यापारी जो देश छोड़कर देश से बाहर रह रहे हैं : जो कि अपने ऋण /लोन इत्यादि समय पर नहीं दे पाए उनका प्रावधान वैसा ही हो जैसा ऊपर लिखित क्रमांक 3 में दिया गया है। और
5. जिन व्यापारियों के साथ मुकद्दमें चल रहे हैं : उनके सारे मुकद्दमें आपसी बातचीत से सुलझा दिए जाएं ताकि वह अपना कारोबार दोबारा आरंभ कर सकें।

स्वयं व्यापार करने वालों के लिए : लागू नहीं।

2. व्यापार के नए नियम :-

व्यापार में आमतौर पर 5 नियम लागू होते हैं और वह हैं माल की खरीद, माल को बनाना, कर्मचारी, मार्केटिंग व फाइनेंस। सब नियमों के लिए खर्च होना अनिवार्य है लेकिन इन नियमों को बहुत सीमा तक आसान बनाया जा सकता है। जिसको हम निम्नलिखित उदाहरण से बताने की कोशिश कर रहे हैं :-
मान लीजिए हम सोलर पावर कि अगले 10 सालों में वर्तमान क्षमता को 1000 गुना बढ़ाना चाहते हैं। हम इसको किस प्रकार करेंगे।

1. जितने भी सोलर पावर के मेनूफैक्चरर/बनाने वाले हैं व इस कार्य में नए लोग आ सकते हैं उन सबको एक स्थान पर आमंत्रित किया जाए।
2. उनसे पूछा जाए कि आप को इस कार्य के लिए क्या-क्या चीज चाहिए?

- **सबसे पहले धन** - मान लीजिए इस कार्य के लिए 10 लाख करोड की आवश्यकता है, यह धनराशि 0.01% सालाना ब्याज पर उपलब्ध करा दी जाए और जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसको दे दिया जाए ।
- **टेक्नोलॉजी** - मान लीजिए इस कार्य के लिए एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए और जो उसे कॉपी करना चाहे कर सकता है ।
- **ट्रेनिंग** - यह हर राज्य की राजधानी में मुफ्त में उपलब्ध कराई जा सकती है ।
- **आयातित /इंपोर्टेड सामान की खरीद** - मान लीजिए पूरे साल में हमें किसी सामान की एक लाख टन की आवश्यकता है उसे सरकार स्वयं खरीद लें और जिसे 50 टन की आवश्यकता है उसे 50 टन, जिसको 100 टन की आवश्यकता है उसे 100 टन दे । इस प्रकार सबके लिए यह कार्य आसान हो जाएगा और सस्ता हो जायेगा ।
- **मार्केटिंग** - मान लीजिए देश में 100 निर्माता/मैन्यूफैक्चरर्स हैं और उन्हें पूरे देश में इस प्रकार बांट दिया जाए, जैसे हरियाणा में 4, पंजाब में 5, यूपी में 10 और इस प्रकार पूरे देश में जहां जिसकी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार कर दिया जाए । इस प्रकार मार्केटिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ऊपर वाले नियमों को लागू करने पर हर मैन्यूफैक्चरर का कार्य बहुत आसान हो जाएगा और उसे केवल उत्पादन ही करना होगा ।

नोट: बाकी व्यापार के नियम जैसे सामान की खरीद, कर्मचारी/मजदूरों की आवश्यकता, मार्केटिंग, फाइनेंस इत्यादि की आवश्यकता समाप्त सी हो जाएगी और जो उत्पाद है वह काफी सस्ता हो जाएगा ।

इसी प्रकार यह नियम हम तेल व अन्य पदार्थों के लिए भी लागू कर सकते हैं । पूरे देश में और इस प्रकार हर पदार्थ/उत्पाद सस्ता होगा ।

स्वयं व्यापार करने वालों के लिए : लागू नहीं ।

3. व्यापारी व कर्मचारी की भागेदारी :

कोई भी व्यापारी कर्मचारियों के योगदान के बिना सफल नहीं हो सकता, तो इसलिए कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए निम्न प्रकार से लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए :-

1. 20 कर्मचारियों/मजदूरों तक	-	10% लाभ का
2. 20 से 50 कर्मचारियों/मजदूरों तक	-	20% लाभ का
3. 50 से 100 कर्मचारियों/मजदूरों तक	-	30% लाभ का
4. 100 से 500 कर्मचारियों/मजदूरों तक	-	40% लाभ का और
5. 500 कर्मचारियों /मजदूरों के ऊपर	-	50% लाभ का

और प्रत्येक कर्मचारी को उसके वेतन के अनुसार जो उसे साल में मिला है और व्यापार में जितना कुल वेतन कर्मचारियों को साल में दिया है, उस अनुपात में मिले ।

स्वयं व्यापार करने वालों के लिए : जैसा उपर दिया गया है ।

4. व्यापारियों के वेतन

1. अगर बिक्री 1 वर्ष में 10000 करोड़ रुपये से अधिक है:	499000 रुपए प्रति मास
2. अगर बिक्री 1 वर्ष में 1000-10000 करोड़ रुपये के बीच है	399000 रुपए प्रति मास
3. अगर बिक्री 1 वर्ष में 100-1000 करोड़ रुपये के बीच है:	299000 रुपए प्रति मास
4. अगर बिक्री 1 वर्ष में 10-100 करोड़ रुपये के बीच है:	199000 रुपए प्रति मास
5. अगर बिक्री 1 वर्ष में 1-10 करोड़ रुपये के बीच है:	100000 रुपए प्रति मास
6. अगर बिक्री 1 वर्ष में 50-100 लाख रुपये के बीच है:	50000 रुपए प्रति मास
7. अगर बिक्री 1 वर्ष में 25-50 लाख रुपये के बीच है:	25000 रुपए प्रति मास
8. अगर बिक्री 1 वर्ष में 10-25 लाख रुपये के बीच है:	10000 रुपए प्रति मास
9. अगर बिक्री 1 वर्ष में 0-10 लाख रुपये के बीच है:	5000 रुपए प्रति मास

नोट: यदि 10 करोड़ रुपये से अधिक बिक्री है तो मुख्य डायरेक्टर /पार्टनर का वेतन ऊपर लिखित हो और दूसरे डायरेक्टर /पार्टनर का एक सीढ़ी नीचे का वेतन हो ।

स्वयंरोजगार करने वालों के वेतन :

1. अगर बिक्री 1 वर्ष में 20 करोड़ रुपये से अधिक है:	499000 रुपए प्रति मास
2. अगर बिक्री 1 वर्ष में 10-20 करोड़ रुपये के बीच है	399000 रुपए प्रति मास
3. अगर बिक्री 1 वर्ष में 5-10 करोड़ रुपये के बीच है:	299000 रुपए प्रति मास
4. अगर बिक्री 1 वर्ष में 1-5 करोड़ रुपये के बीच है:	199000 रुपए प्रति मास
5. अगर बिक्री 1 वर्ष में 50-100 लाख रुपये के बीच है:	100000 रुपए प्रति मास
6. अगर बिक्री 1 वर्ष में 20-50 लाख रुपये के बीच है:	50000 रुपए प्रति मास
7. अगर बिक्री 1 वर्ष में 10-20 लाख रुपये के बीच है:	25000 रुपए प्रति मास
8. अगर बिक्री 1 वर्ष में 5-10 लाख रुपये के बीच है	10000 रुपए प्रति मास
9. अगर बिक्री 1 वर्ष में 0-5 लाख रुपये के बीच है:	5000 रुपए प्रति मास

नोट: यदि 1 करोड़ रुपये से अधिक बिक्री है तो मुख्य डायरेक्टर /पार्टनर का वेतन ऊपर लिखित हो और दूसरे डायरेक्टर /पार्टनर का एक सीढ़ी नीचे का वेतन हो ।

5. एक व्यापारी / स्वयं रोजगार करने वालों के लिए पेंशन का प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हो :-

जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 10 लाख तक या उससे अधिक करो में/ समाजिक, कल्याण व धार्मिक कार्यों में/ परियोजनाओं /प्रोजेक्ट्स में योगदान दिया है या धन लगाया है उसको निम्नलिखित पेंशन मिले :-

1. 4 लाख रुपया प्रति मास - 500 करोड़ से अधिक होने पर ।
2. 3 लाख रुपया प्रति मास - 50 से 500 करोड़ होने पर ।
3. 2 लाख रुपया प्रति मास - 10 से 50 करोड़ होने पर ।
4. 1 लाख रुपया प्रति मास - 5 से 10 करोड़ होने पर ।
5. 50000/- रुपया प्रति मास - 1 से 5 करोड़ होने पर ।

6. 30000/- रुपया प्रति मास - 50 से 100 लाख होने पर ।
7. 20000/- रुपया प्रति मास - 20 से 50 लाख होने पर ।
8. 10000/- रुपया प्रति मास - 10 से 20 लाख होने पर ।
9. 5000/- रुपया प्रति मास - 10 लाख तक होने पर ।

इस कार्य के लिए टैक्स की गणना इस प्रकार हो :- कंपनी या पार्टनरशिप में जितने भी टैक्स की पेमेंट हुई है, उसे वर्किंग डायरेक्टर्स/ पार्टनर्स में बांट दिया जाए और इसमें किस व्यक्ति के पास कितने शेयर हैं उसको ना देखा जाए ।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सुधार हो और उनको लागू भी किया जाए :-

1. आयकर समाप्त हो जिससे प्रत्येक व्यक्ति भय मुक्त व चिंता मुक्त होगा।
नोट : जो व्यक्ति नकदी या विदेशी विनिमय बैंक में जमा कराएँ उसके विपरीत किसी भी कानून के अंतर्गत किसी भी प्रकार का दीवानी व फौजदारी मुकद्दमा ना चलाया जाए जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक नया अध्याय आरंभ कर सके।
2. प्रत्येक व्यक्ति को 0.01% सालाना ब्याज पर आसानी से ऋण /लोन उपलब्ध हो और उस व्यक्ति को मिले जिसके पास योग्यता या क्षमता या सामर्थ्य या शिक्षा या कोई विशेष गुण हो और यह ऋण /लोन निश्चित समय में मिले और नए लोगों को भी उपलब्ध हो (एक करोड़ रुपए के ऋण /लोन पर साल का 1000 रुपए ब्याज)।
3. देश में केवल तीन कर हो उत्पाद शुल्क, विक्री कर व सेवा कर और वह भी अनुपातिक और अधिकतम दर 10% हो। अनुपातिक कर नए व्यापारियों के लिए वरदान सिद्ध होगा।
4. आय की सीमा और संपत्ति की सीमा देश की उन्नति व प्रगति के लिए। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार अच्छे से अच्छा कमाएगा और रखेगा। लेकिन जिस व्यक्ति के पास कम योग्यता/ सामर्थ्य है, उस व्यक्ति को रोजमर्रा जीवन की आवश्यकताएं आसानी से पूर्ति हो सकें।

प्रत्येक व्यक्ति को 5000 रुपए प्रति महिना पेंशन मिले। जिनके पास आमदनी का कोई भी साधन नहीं है और आयु एक सीमा से ऊपर है। यह सुविधा सरकारी व अन्य वेतन भोगियों को भी उपलब्ध हो। इसमें 2.5% प्रत्येक वर्ष नौकरी का पूरा करने पर या 50% वेतन का, दोनों में जो भी अधिक हो वह उपलब्ध हो और यह उस व्यक्ति की जो आखरी तनखाह थी उसको वर्तमान के अनुसार प्राप्त हो। फैमिली पेंशन का भी प्रावधान हो जो वेतन का 50% से 75% हो और वह उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों की सीमा पर निर्भर करें। इसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता भी उपलब्ध हो।

इन सीमाओं के लगने पर एक अमीर आदमी और भी अमीर हो जाएगा (यह लाभ उसे आयकर समाप्त होने के बाद प्राप्त होगा) और वह जब तक अमीर रहेगा जब तक की वह देश के लिए कार्य करता रहेगा यानि व्यापार में अपना योगदान दे रहा है या आधारीक संरचना /इंफ्रास्ट्रक्चर/ धार्मिक/ कल्याण व समाजिक कार्यों में अपना धन लगा रहा है अन्यथा उसे समता कर देना होगा जिसका वर्णन नीचे किया गया है। इस प्रस्ताव में वेतन की तो सीमा है लेकिन लाभ या डिविडेंड की कोई सीमा नहीं है।

5. समता कर:- एक चमत्कारी कर जिस से देश दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने की बजाय दिन दूनी रात सौ गुनी उन्नति करेगा और यह कर बैंक खातों में पड़े धन पर लगेगा। जो व्यक्ति कर को आधारीक संरचना /इंफ्रास्ट्रक्चर/ कल्याण / सामाजिक व धार्मिक कार्यों में लगाएगा तो उसका 95% तक उसको वापस कर दिया जाएगा और 5% बकाया में से उसे वेतन मिले जो 50% तक हो।

इंफ्रास्ट्रक्चर/ समाजिक व धार्मिक निर्माणाधीन कार्य समता कर के आधीन:- निम्न प्रबंधन – जल, वायु, वाहन, पर्यटन, ऊर्जा, गृह निर्माण, असहाय, कूड़ा प्रबंधन, कृषि, गांव व शहरी विकास, कुटीर उद्योग, सहकारिता, स्टेडियम, समाजिक कार्यों के लिए स्थान, प्रदूषण रोकने के लिए, चीजें व सेवाओं को मुफ्त बांटने के लिए कार्य, आजीविका प्रदान करने के लिए कार्य, अंतरजातीय व अंतर संप्रदाय विवाह इत्यादि के लिए।

समता कर की दरें:- 5 लाख रुपए तक कोई कर नहीं, 5 से 10 लाख रुपए तक ¼% प्रति वर्ष, 10 से 20 लाख रुपए तक ½% प्रति वर्ष, 20 से 50 लाख रुपए तक 1% प्रति वर्ष, 50 से 100 लाख रुपए तक 2% प्रति वर्ष, 100 से 500 लाख रुपए तक 5% प्रति वर्ष 500 से 1000 लाख रुपए तक 10% प्रति वर्ष, 1000 से 2000 लाख रुपए तक 20% प्रति वर्ष और 2000 लाख रुपए से ऊपर 25% प्रति वर्ष।

ऊपर लिखित के अतिरिक्त :-

1. करंसी नोटों के स्थान पर सिक्कों का चलन हो और 10 हजार रुपए से ऊपर रखने पर देशद्रोही माना जाए और उसकी सजा 10 साल काला पानी की हो यानि उसे 5000 किलो मीटर दूर तक भेज दिया जाए जहां पर उसे किसी भी अपने को मिलने ना दिया जाए। व
2. सेना व पुलिस के अतिरिक्त किसी के पास हथियार पाए जाएं तो वह देशद्रोही माना जाए और उसकी सजा मौत हो, जिससे एक आम आदमी की सुरक्षा बेहतर हो सके और प्रत्येक व्यक्ति निडर हो सके। जब किसी के पास हथियार होंगे ही नहीं तो सुरक्षा बेहतर ही होगी।

ऐसा होने पर देश के हालात इस प्रकार से होंगे :-

1. देश में गरीबी, भ्रष्टाचार व आतंक समाप्त होगा।
2. प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, पानी, बिजली व वाहन (ट्रांसपोर्ट) आसानी से उपलब्ध होगा।
3. समाज के प्रत्येक वर्ग विधार्थी, किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी को उसकी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार अवसर मिलेंगे।
4. असहाय जिसमें अनाथ, बूढ़े व विकलांग आते हैं उनका जीवन खुशहाल होगा।
5. पढ़ाई, दवाई एक समान साधन सहित मुफ्त होगी। समय पर न्याय और ऐसी व्यवस्था जहां पर आरक्षण की आवश्यकता ही ना हो।
6. जल ठीक होगा, वायु ठीक होगी, जलवायु ठीक होगा, जिससे प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रह सकेगा।
7. समाजिक बुराइयां कम से कम होगी।
8. देश की संपत्ति जो भूमि के नीचे होती है उसका बंटवारा सब को एक समान मिलेगा।
9. ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहां पर केवल वह लोग राजनीति में आएंगे, जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं। पुलिस मित्रवत, समयबद्ध न्याय और नौकरशाही प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए होगी।

जिस दिन भी ऊपर लिखित सुधार हो गए और उनको लागू कर दिया गया तो क्या होगा:- निम्नलिखित 95% से 100% कम हो जाएंगे:- आतंकवाद, माओवाद, गैंगस्टर, माफिया, ड्रग्स का व्यापार, महिलाओं व बच्चों की खरीद फरोख्त, स्मगलिंग, फिरौती, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, किडनैपिंग, मिलावट, सर्विलेंस, अन्यायिक व असमाजिक कार्य, भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी, काला बाजारी, धोखाधड़ी के कार्य, मानव अंगों का व्यापार/ पेशवर खून देने वाले इत्यादि।

देश के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त होगा:- शुद्ध जल, शुद्ध वायु, अच्छा वातावरण/जलवायु, अच्छा भोजन, बेहतर स्वास्थ्य, चिंता मुक्त जीवन, जीवन में सुरक्षा, सम्मान पूर्ण जीवन, कम से कम प्रदूषण, आसानी से रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए आजीविका, भेड़ चाल नहीं, नए नए कार्यों को करने के अवसर, धन का मानवतावादी प्रयोग, मानवतावादी कर, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त, काम करने की इच्छा की भावना, समता, बेहतर क्षमता, नम्रता, आदर, अधिकार व अवसर, प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत प्रजातंत्र और इन सब के ऊपर आजादी।

आजादी :- प्रत्येक व्यक्ति जब चाहे, जैसा चाहे वह आसानी से कर सके लेकिन समाज की परिधि व देश के नियमों के अनुसार। इसके लिए उसके पास समय, धन और साधन की जो आवश्यकता होती है तो यह सरकार की जिम्मेवारी है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व सामर्थ्य के अनुसार उसको प्रदान करें, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, अधिकार व अवसर प्राप्त हो सके।

देश के हालात कैसे होंगे :- बहुत अधिक नौकरियां, कई गुना करो की आमद, पेंशन/बेरोजगार भत्ता प्रत्येक व्यक्ति को जिसका कोई आय का साधन नहीं है। आप जिस चीज के बारे में भी बात करें वह आसानी से उपलब्ध हो, धन का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा और वह केवल बही खातों/चलन (Circulation) के लिए ही रह जाएगा। देश में किसी भी व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक वेतन भोगी सप्ताह में 28 घंटे कार्य करने पर और सप्ताह में 7 दिन कार्य होने पर प्रत्येक व्यक्ति चिंता मुक्त व खुशहाल होगा।

कुंठा देश से समाप्त होना:- एक समान साधन सहित मुफ्त पढ़ाई होने पर, समय पर न्याय और आरक्षण की ऐसी व्यवस्था की आरक्षण की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए से कुंठा का अंत होगा। कुंठा जो किसी भी व्यक्ति के मन में मोल की पढ़ाई, न्याय में देरी और आरक्षण के कारण पैदा होती है, यह कारण किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं और देश का उत्थान नहीं हो पाता।

आयकर समाप्त होने के बाद सरकार के पास धन कहां से आएगा ?

- उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व सेवा कर लगने पर देश में करों की आमद बहुत बढ़ जाएगी और सिक्के चलने पर चोरी करना असंभव हो जाएगा।
 - समता कर लगने पर जो व्यक्ति व्यापार या परियोजनाएं/प्रोजेक्ट्स नहीं कर पाएंगे उन पर यह कर लगेगा, उसकी आमद।
 - सरकार 0.01% सालाना ब्याज पर ऋण/लोन ले सकेगी और यह 10, 20, 50..... 1000 लाख करोड़, जितना मर्जी हो लिया जा सकता है और यह केवल किताबी एंटी/लेखा-जोखा/चलन (Circulation) के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा और यह धन सरकार ने कभी वापिस भी नहीं करना होगा।
- इस प्रकार सरकार के पास कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी।

अंत में :- देश का पैसा, देश के लिए, देश के द्वारा, देश के अंदर, देश के नागरिकों के लिए खर्च होगा ।

ऊपर लिखित प्रस्ताव के लागू होने पर निम्नलिखित घटित होगा:-

1. एक अमीर, मध्यम वर्ग व एक गरीब व्यक्ति आज से अधिक खुशहाल होगा और उसके जीवन में बेहतरी ही होगी ।
2. समाज के प्रत्येक वर्ग को अवसर ही अवसर प्राप्त होंगे और आजीविका के लिए एक विधार्थी, किसान, मजदूर, कर्मचारी व व्यापारी /स्वयं रोजगार करने वाले को अवसर ही अवसर होंगे ।

यहां पर हम एक बात कहना चाहते हैं और वह है असहायों (असहायों में अनाथ, बूढ़े व विकलांग आते हैं) जो ऊपर लिखित इन पांच वर्गों में से किसी ना किसी एक पर निर्भर करते हैं और जब तक उनका जीवन अच्छा नहीं होता तब तक असहायों का जीवन भी अच्छा नहीं हो सकता । आज देश में प्रत्येक वर्ग के जीवन के जो हालात हैं वह चिंताजनक है और ऐसे में असहायों का जीवन आराम देह व अच्छा नहीं हो सकता । इस प्रस्ताव के लागू होने पर समाज का प्रत्येक वर्ग खुशहाल होगा और विशेष तौर पर असहाय ।

3. समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं आसानी से प्राप्त होगी जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षा, पानी, बिजली व ट्रांसपोर्ट /वाहन इत्यादि ।
4. इससे समाज में, देश में **समता आएगी** जिससे उनकी **क्षमता बढ़ेगी** और उसके साथ-साथ **नम्रता भी आएगी**, जो देश के उत्थान के लिए अति आवश्यक है ।
समता:- समता का अर्थ यह नहीं है कि सब एकदम बराबर हो लेकिन यह व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए । लेकिन जिस व्यक्ति के पास क्षमता व सामर्थ्य में कोई कमी है तो उसे भी रोजमर्रा की आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो जिसका वर्णन उपर किया गया है ।
5. इस व्यवस्था के लागू होने पर देश के प्रत्येक नागरिक को आदर, अधिकार व अवसर प्राप्त होंगे ।

श्री परमधाम, मेरठ

अधिक जानकारी के लिए कृपा वेबसाइट देखें :- www.solutionoflife.in

प्रजातंत्र के स्तंभ

संसदीय प्रजातंत्र

1. विधायिका - नेतागण
2. कार्यपालिका - पुलिस व नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी)
3. न्यायपालिका - न्यायधीश इत्यादि

मजबूत प्रजातंत्र की स्थापना कैसे हो सकती है ?

राजनीतिक सुधार

1. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का चुनाव सीधा जनता के द्वारा हो ।
2. सांसद /एम. पी. व विधायक /एम. एल.ए. की पेंशन उस के वेतन के बराबर हो और उनकी आमदनी का और कोई अन्य साधन ना हो ।
3. यदि किसी व्यक्ति के पास चल व अचल संपत्ति है (स्वयं, पति /पत्नी या अव्यस्क बच्चे) तो वह संपत्ति देश को दान की जाए ।

पुलिस के सुधार

1. देश में पुलिस कर्मियों के लिए सप्ताह में 28 घंटे का कार्य हो। आज पुलिस कर्मियों का कार्य 24 x 7 का होता है, जिससे उनकी सेहत को बहुत हानि पहुंचती है ।
2. वेतन दोगुना हो । और
3. जिनका पेट बेल्ट से बाहर आए वह स्वयं इस्तीफा / त्यागपत्र दे । उनको इसे ठीक करने के लिए 6 महीने से 12 महीने का समय दिया जाए ।

न्यायिक सुधार

1. प्रत्येक मुकद्दमे की समय सीमा निर्धारित हो जो उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करें । जैसे कि चेक वापसी (डिसऑनर), एक सुनवाई या एक महीना जो दोनों में से कम हो ।
2. प्रत्येक 5 जिलों में एक हाई कोर्ट का बेंच हो, प्रत्येक 5 राज्यों में एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच हो।
3. जितने भी पुराने मुकद्दमे हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए ।

नौकरशाही (ब्यूरोक्रेसी) : नौकरशाही के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती । जब ऊपर लिखित राजनीतिक व्यवस्था, पुलिस व न्यायिक व्यवस्था ठीक हो जाएगी तो नौकरशाही स्वयं अपने आप ठीक हो जाएगी यानि हम उनको जैसा चाहे वैसा मोड़ पाएंगे ।